

राजस्थान-सरकार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर (राज.)

क्रमांक :- 196

दिनांक :- 13/3/26

निदेशक,  
सूचना एवं जन-संपर्क निदेशालय,  
जयपुर (राज.)


विषय :- नीलामी की सूचना समाचार पत्र में  
प्रकाशित करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय में हो चुके नकारा/अनुपयोगी सामान की नीलामी की जानी है, जिस हेतु नीलामी की सूचना/विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाना है।

अतः समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी जाने वाली नीलामी की सूचना का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जाकर लेख है कि उक्त नीलामी की सूचना पत्र प्राप्ति के दूसरे दिवस के संस्करण में ही एक क्षेत्रीय समाचार पत्र (अजमेर संस्करण) में छपवाये जाने का श्रम करावें।

उक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकाशित विज्ञापन की प्रति इस कार्यालय में भी भिजवाये जाने का श्रम करावें।

  
अध्यक्ष  
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,  
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग  
अजमेर  
13/03/2026

राजस्थान सरकार  
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर (राज.)

क्रमांक :- 196

दिनांक :- 17/3/26

—:: नीलामी सूचना ::—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय कार्यालय में हो चुके नकारा/अनुपयोगी सामान की नीलामी दिनांक 07.04.2026 को दोपहर 2 बजे होगी। नीलामी राशि 1,20,000 रुपये हैं अतः इच्छुक बोलीदाता नीलामी स्थल पर अमानत राशि पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत या न्यूनतम 500 रुपये धरोहर राशि के रूप में नकद जमा करवाकर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकता है। बोलीदाता अपना जी.एस.टी. नंबर अनिवार्य साथ में लावे। नीलामी संबंधी शर्तें किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

  
अध्यक्ष  
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,  
अजमेर  
17/3/26